



# **BULANDSHAHR POLICE**



दिनांक 26 नवम्बर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10

हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राकेश व राजेश पुत्रगण तेजवीर निवासीगण नरेन्द्रपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर, द्वारा वर्ष-2020 में अपने गांव निवासी राजवीर सिंह की हत्या कर शव को पेड पर लटाक देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना नरसैना पर मुअसं-238/2020 धारा-302 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 26-11-2022 को मा0 न्यायालय, एडीजे-12 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त राकेश व राजेश को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर